भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2139

जिसका उत्तर 04 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

जल-प्रदूषण तथा गिरता भू-जल स्तर

2139. श्री गोपाल जी ठाकुर:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गिरते भू-जल स्तर तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न जल-संकट और जल-प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए तथा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जल-संरक्षण से जुड़ी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का भू-जल के अनियंत्रित दोहन को रोकने के उद्देश्य से कोई योजना तैयार करने का विचार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) जल, राज्य का विषय होने के कारण, गुणवत्ता मुद्दों सहित भूमि जल संरक्षण और प्रबंधन के उपाय करना प्रमुख रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व है। फिर भी, भूमि जल में कमी को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए अन्य उपाय निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है:-

http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf

भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान शुरू किया है जो जल की कमी वाले ब्लॉकों में भूमि जल की स्थितियों समेत जल उपलब्धता में सुधार करने की दृष्टि से मिशन मोड विचारधारा के साथ समयबद्ध रूप से चलाए जाने वाला अभियान है

देश में भूमि जल विकास और प्रबंधन को विनियमित तथा नियंत्रित करने के उद्देश्य से, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) गठित किया गया है। सीजीडब्ल्यूए भूमि जल निकासी के लिए समय समय पर जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है।

इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उद्योगों को संचालित करने के लिए दी जाने वाली सहमति में यह अनिवार्य शर्त होती है कि उद्योग बहिस्राव के निर्धारित मानकों का पालन करें।

*****